निविदा फार्म   मूल्य 2000/–

कार्यालय जिला पंचायत, दमदमा, उज्जैन

(प्रस्तावित हाथकरघा एवं हस्तशिल्प मेला 2023 दिनांक 15.12.2023 से 26.12.2023 तक)

कार्य क्र.07–हस्तशिल्प मेला 2023 आयोजन स्थल पर मेले की साज सज्जा आदि हेतु निविदा

प्रति,

मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
जिला पंचायत,उज्जैन

विषयः– प्रस्तावित हाथकरघा एवं हस्तशिल्प मेला 2023 **मेले की साज सज्जा आदि** हेतु भाव पत्र प्रदाय करने बाबद।

संदर्भः– आपके द्वारा प्रकाशित विज्ञप्ति क्रमांक––––––––––दिनांक––––––––– ।

महोदय,

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित विज्ञप्ति अनुसार आपके द्वारा जारी शर्तो को मान्य करते हुए हस्तशिल्प मेला 2023 आयोजन अंतर्गत चाही गई व्यवस्थाओ हेतु मेरे भाव निम्नानुसार है :–

क	कार्य का नाम	दर राशि एक मुश्त सम्पूर्ण मेला अवधि
01	सम्पूर्ण मेला परिसर की साज–सज्जा :– (गेट–04 डेकोरेशन, रंगीन कपडे की लग्गीया अनुमानित 10 हजार रनिंग फिट, मुखोटा 20 नग, मिट्टी के मटकी कलश 15 सेट, टोकरी 20 नग, 2 मीटर कपड़े का झण्डा मय पाईप 35 नग, रंगोली आदि)	

संलग्नः–

1.धरोहर राशि जमा की छायाप्रति।
2.फर्म का पंजीयन प्रमाण–पत्र
3.पेन कार्ड की छायाप्रति
4.जीएसटी प्रमाण पत्र. की छायाप्रति
5.वार्षिक अंकेक्षण रिपोर्ट की छायाप्रति
6. दर प्रत्रक में दर भर कर स्केन कापी का पी.डी.एफ बनाकर ऑनलाई वित्तीय लिफाफे में अपलोड किया जाना अनिवार्य है।

निविदाकर्ता के हस्ताक्षर

निविदाकर्ता का नाम–––––––––––––––––––––––

पता–––––––––––––––––––––––––––––––––––

मो.नं.––––––––––––––––––––––––––––––––––

नोटः—निविदा प्रपत्र मे उल्लैखित लगने वाली सामगीयॉ संभावित है । इन सामग्रीयो मे से जिन सामग्रीयो की आवश्यकता होगी उन्ही सामग्रीयो की स्थापना हेतु आदेशित किया जावेगा ।

क्र. 07 हाथकरघा एवं हस्तशिल्प मेला 2023 आयोजन स्थल पर मेले की साज—सज्जा आदि व्यवस्था कार्य, कार्यालयीन शर्तो का पालन करना अनिवार्य है।

01. निविदा अंर्तगत स्वीकृत दरे स्वीकृत दिनांक से 01 वर्ष तक एवं आगामी दरे स्वीकृत होने तक प्रभावशील रहेगी। कार्यालय 01 वर्ष की अवधि में आयोजित किये जाने वाले कार्यक्रमों में की जाने वाली व्यवस्था संबंधित सफल निविदाकार को करना होगी। उक्त दर एक वर्ष एवं आगामी दरे स्वीकृत होने तक के लिये प्रभावशील होगी। आवश्यकता अनुसार कार्य आदेश दिया जाने अथवा नही दिये जाने संबंधी अधिकार अद्योहस्ताक्षर के पास सुरक्षित होगा। कार्यालय द्वारा स्वीकृत दर की अवधि के दौरान कोई भी विशेष कार्यक्रम आयोजित किया जाने पर अद्योहस्ताक्षरकर्ता अधि. के निर्देशानुसार निविदाए आमंत्रित की जाती है तो उक्त कार्यक्रम अन्तर्गत आपकी स्वीकृत दरे मान्य नही की जावेगी।
02. कार्यक्रम स्थल तक सामग्री लाने एवं लेजाने का भाड़ा सफल निविदाकार को स्वयं को वहन करना होगा। पृथक से भाड़ा देय नही होगा।
03. संबंधित सफल निविदाकर्ता को कार्य समाप्ति उपरान्त देयको का भुगतान शासन के नियमानुसार टी.डी.एस. कटौत्रा काटते हुए शेष राशि का भुगतान किया जावेगा।
04. इच्छुक निविदाकर्ता धरोहर राशि रूपये 10000 (ईएमडी) ऑनलाईन पोर्टल के माध्यम से जमा कराई जावेगी। फर्म के पंजयीन, पेनकार्ड, टिन / GST नम्बर की छायाप्रति संलग्न करें।
05. सर्शत, कटी—फटी अथवा ओव्हर राईटिंग लिखाई की निविदा मान्य नही की जावेगी। निविदाकार कार्यस्थल का निरीक्षण निविदा प्रतिस्पर्धा में भाग लेने के पूर्वकर लेवे।
06. निविदा कार्य / फर्म का संबंधित कार्य में शासकीय कार्य का विगत 03 वर्षो का अनुभव अनिवार्य है।
07. यदि किसी निविदाकार द्वारा अंको एवं शब्दों में दी गई दरों में भिन्नता पाई गई तो उस अवस्था में विभाग द्वारा जो विभाग के हित में होगा उसे मान्य किया जावेगा।
08. निविदा स्वीकृत करने व अस्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार अद्योहस्ताक्षरकर्ता के पास सुरक्षित होगा।
09. कार्य अवधि के दौरान किसी प्रकार की परिस्थितियों में मूल्य वृद्धि देय नही होगी।
10. निविदा से संबंधित किसी भी वाद—विवाद पर अद्योहस्ताक्षरकर्ता का निर्णय अंतिम होगा।
11. कार्य करने के दौरान किसी भी दुर्घटना का उत्तरदायित्व इस कार्यालय का ना होकर संबंधित निविदाकार का होगा।
12. निविदाकार / फर्म के लिए केवल एक ही निविदा प्रस्तुत की जा सकेगी।
13. साज—सज्जा सामग्री का किसी भी प्रकार का नुकसान (प्राकृतिक आपदा, जलने, खराब होने, टूटने, चोरी होने) का संपूर्ण उत्तरदायित्व निविदाकर्ता का होगा। इस हेतु निविदाकार को अपनी सामग्री का स्वंय के व्यय से बीमा कराया जाना होगा।
14. कार्यालय द्वारा कार्य हेंतु किसी भी प्रकार की अग्रिम राशि का भुगतान नही किया जावेगा।
15. निविदा स्वीकृती के तत्काल पश्चात् दो दिवस मे समिति द्वारा निर्धारित शर्तो अनुसार अनुबंध का निष्पादन कर निविदाकर्ता को जिला पंचायत, में प्रस्तुत करना होगा।
16. साज—सज्जा व्यवस्था अंतर्गत प्रदाय की जाने वाली सामग्री आवश्यकता होने की दशा मे तत्काल उपलब्ध कराना होगी। विलंब की स्थिति मे होने वाले नुकसान एवं प्रदाय सेवा / सामग्री मे कमी / गुणवत्ता मे कमी की स्थिति में आपकी धरोहर राशि राजसात कर ली जावेगी।
17. साज—सज्जा व्यवस्था अंतर्गत उपयोग की जाने वाली सामग्री पर्याप्त मात्रा में मेला स्थल पर रखना होगी ताकि टूटने, कटने—फटने, खराब होने पर तुरंत बदलना होगी ।
18. साज—सज्जा व्यवस्था आकर्षक एवं सुव्यवस्थित होना आवश्यक है। प्रयुक्त की जाने वाली सामग्री उच्च्व क्वालिटी की होना चाहिये।
19. कार्य सम्पादन एवं रखरखाव मे प्रयुक्त श्रमिको की किसी दुर्घटना होने व श्रम कानून के पालन की जिम्मेदारी निविदाकर्ता की होगी।
20. निविदा फार्म मे उल्लैखित सामग्री के अतिरिक्त सामग्री की आवश्यकता होने पर निर्देषानुसार प्रदाय सामग्री का तत्काल सत्यापन कार्यालय द्वारा गठित समिति के द्वारा कराना आवश्यक होगा तत्पश्चात् ही भुगतान होगा।
21. किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति मे न्यायालयीन क्षैत्र उज्जैन रहेगा।
22. स्वीकृत निविदाकर्ता द्वारा राशि रूपये 10000 सुरक्षा निधि मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत उज्जैन के नाम एफ.डी.आर. के माध्यम से जमा कराना अनिवार्य होगा।
23. कार्यादेश अनुसार मेला आरंभ के पूर्व दिनांक 12 / 12 / 2023 को दोप. 01.00 बजे तक कार्य पूर्ण करना होगा।
24. समिति के सत्यापन उपरान्त ही देयक का भुगतान किया जावेगा।
25. सामग्रियो की दरे जीएसटी सहित प्रस्तुत करना होगी। जीएसटी पृथक से देय नही होगा।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला पंचायत, उज्जैन

उपरोक्त शर्त क्रमांक 01 से 25 तक मुझे मान्य है ।

निविदाकर्ता के हस्ताक्षर :—

नाम एवं पता :—

मोबाईल नम्बर :—